



नगर पंचायत रानीगंज (अररिया)

स्व-कर निर्धारण प्रणाली प्रपत्र

(बिहार में नगर पालिकाओं के लिए स्व-मूल्यांकन संपत्ति कर / रिक्त भूमि कर के लिए प्रपत्र)

- 1 आकलन का वर्ष 2025-26..... वार्ड संख्या.....
- 2 स्वामित्व का प्रकार..... उपयोग का प्रकार.....
- 3 स्वामित्व का विवरण :- (यदि एक ही संपत्ति के 4 से अधिक मालिक हो तो अनुलग्नक संलग्न करें)

लिंग (पु./स्त्री.)	नाम/कंपनी का नाम/संस्था आदि	पिता/पति का नाम/ पैन कार्ड संख्या	आधार कार्ड संख्या	पैन कार्ड संख्या	बिजली ग्राहक संख्या

4 संपत्ति का पता (Address).....

पिन कोड..... मोबाईल नंबर

5 संपत्ति की स्थिति : भवन/फ्लैट रिक्त भूमि मिश्रित(रिक्त+भवन)

6 वर्षा जल संचयन की सुविधा : हाँ नहीं

9 संपत्ति का विवरण :-

रोड का नाम /प्रकार जिस पर संपत्ति है	प्रधान मुख्य सड़क..... मुख्य सड़क..... अन्य सड़क..... सड़क का नाम
उपयोग का प्रकार	पूर्णतः आवासीय..... पूर्णतः वाणिज्यिक..... आंशिक आवासीय और आंशिक वाणिज्यिक..... अन्य.....
अधिग्रहण/संपत्ति के निर्माण का वर्ष	

10 भूखंड / भूमि का विवरण :-

10(A) प्लॉट / भूमि का क्षेत्रफल(वर्गफुट मे)

10(B) निर्मित क्षेत्र / भूतल पर निर्माण(वर्गफुट मे)

11 भवन का विवरण और टैक्स की गणना :-

निर्मित क्षेत्र(वर्गफुट मे)	मंजिल संख्या	आवासीय या गैर आवासीय	निर्माण का प्रकार	कर योग्य क्षेत्र(वर्गफुट मे)	इकाई क्षेत्र दर (रुपए/वर्गफुट)	गैर आवासीय उपयोग का कारक	अधिभोग कारक		वार्षिक किराया मूल्य (11E X 11F X 11I)	संपत्ति कर की दर	वार्षिक संपत्ति कर (11J X 11K)
							S अथवा T	कारक			
11A	11B	11C	11D	11E	11F	11G	11H	11I	11J	11K	11L
										9%	
										9%	
										9%	
										9%	

घोषणा :-

मैं / हम घोषणा करता हूँ / हैं कि उपरोक्त जानकारी और संपत्ति कर निर्धारण मेरी/हमारी जानकारी मे सही है, तथा मैं / हम बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के संगत प्रावधानों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ / हैं | मैं / हम पूरी तरह समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि ऊपर दी गयी कोई जानकारी झूठी पायी गयी तो मैं / हम बिहार सरकार या नगरपालिका द्वारा विहित कानून, नियम अथवा विनियम के अंतर्गत दंडात्मक कारवाई या अन्य परिणाम का भागी बन्नूंगा / बन्नूगी |

संपत्ति- स्वामी का नाम / करदाता का नाम.....

हस्ताक्षर एवं तिथि

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार - पटना